

अंचल आधिकारी का कार्यालय, बाधमारा
आदेश फाटक

मापी अभिलेख सं० 62 / 17-18
आवेदक - लता देवी
पिता/पति - चन्द्रदेव सिंह
सा० - लकड़का
जिला - धनबाद

96

तिथि	आदेश	अभ्युक्ति
2/2/18	<p align="center">आवेदक लता देवी पति - चन्द्रदेव सिंह सा० लकड़का जिला - धनबाद ने मौजा - सतानपुर मौजानं० 262 खाता नं० 262 खातानं० 182 प्लॉट नं० 308 कुल रकवा 2.50 डी० भूमि मापी करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर हाका कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा सतानपुर ग्रामानं० 262 खातानं० 182 प्लॉट सं० 308 रकवा 2 1/2 डी० भूमि रैंचरी खाते की है। उक्त भूमि पर आवेदिका का दखल कब्जा है। अतः हाका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदन से एक दिन का मापी शुल्क जमा करने के पश्चात अंचल अमीन को प्रतिनिधुक्त करें।</p> <p align="right">अंचल आधिकारी बाधमारा।</p>	
9.5.18	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक लता देवी पति - चन्द्रदेव सिंह सा० - लकड़का ने MRNO 1128262 दिनांक 9.5.18 के द्वारा मापी शुल्क ₹40 = 00 सात से चारपैसे रुपयें जमा किया गया।</p> <p align="right">अंचल आधिकारी बाधमारा।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा - सतानपुर मौजानं० 262 खातानं० 182 प्लॉट नं० 308 रकवा 2 1/2 डी० भूमि हेतु दिनांक 29.5.18 को मापी किया। मापी के समय आवेदिका लता देवी पति - चन्द्रदेव सिंह के आगे ग्रामीणों रूपेश सिंह हेमल कुमार खानी रजत खानी अभिलेख मिश्रा कुन्दन सिंह के आगे अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। मापी के वृत्त में पाया गया आवेदक द्वारा अपनी जमीन 2 1/2 डी० पर अपना अर्ध निर्माण प्रकान जिसपर वर्तमान में चार फुट से अधिक</p>	

कंक्रीट पीपर एवं पक्का इंट का दिवार बना हुआ है। तथा
 उत्तर एवं दक्षिण गामी है। जब मैंने उत्तर एवं दक्षिण विनोद
 मिश्रा एवं स्वी श्रीवास्तव से कागजात मांग की तो स्थान
 पर दिखाने से इन्कार किया गया। तत्पश्चात मैंने आवेदिका
 के भूमि का मापी किया। मापी के समय स्थान पर कोई विवाद
 नहीं हुआ।

उत्तर: इस अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की
 जाती है।

अंशुमति अधिकारी
 बाधमाला।

सिद्धांत कुमार
 1. भाग्यशाली

कंक्रीट पीपर का दिवार बना हुआ है। तथा उत्तर एवं दक्षिण गामी है। जब मैंने उत्तर एवं दक्षिण विनोद मिश्रा एवं स्वी श्रीवास्तव से कागजात मांग की तो स्थान पर दिखाने से इन्कार किया गया। तत्पश्चात मैंने आवेदिका के भूमि का मापी किया। मापी के समय स्थान पर कोई विवाद नहीं हुआ।

उत्तर: इस अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।